पत्रांक–SUDA/AMRUT/Ref. Incentive–148/2016......111

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

केन्द्रांश 2018–19
प्रोत्साहन राशि
TSP

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

नौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा : **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची, दिनांक–19/09/18

विषय : **केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन (अमृत) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से शहरी सुधारों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में किए गए कार्यों के निमित प्राप्त प्रोत्साहन राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) को आवंटित किए जाने हेतु अमृत योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद के लिए TSP प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि "शहरी पुनरूत्थान मिशन–अमृत" मद से 2,82,00,000/– (दो करोड़ बिरासी लाख) रुपए मात्र स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

महाशय,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 में शहरी सुधारों हेतु किए गए कार्यों के निमित प्राप्त प्रोत्साहन राशि इस योजना के लिए नामित नोडल एजेंसी, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को आवंटित किए जाने हेतु अमृत योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद के लिए TSP प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि "शहरी पुनरूत्थान मिशन–अमृत" मद से 2,82,00,000/– (दो करोड़ बिरासी लाख) रुपए मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में शहरी पुनरूत्थान मिशन–अमृत अंतर्गत केन्द्रांश मद में कर्णांकित TSP प्रक्षेत्र से निम्नांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगी :–

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि (रु॰)
TSP	मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–76, शहरी पुनरूत्थान मिशन–अमृत, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन), विपत्र कोड–48C221780796760679 State Scheme- Urban Renewal Mission-AMRUT (1080) Center Scheme- Urban Rejunation Mission-500 Cities (9556)	2,82,00,000.00

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–K-16011/08/2015-SC-IV, दिनांक 27.07.2018 द्वारा अमृत योजना अंतर्गत झारखण्ड राज्य को वित्तीय वर्ष 2017–18 में शहरी सुधारों हेतु किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन राशि कुल 7,05,00,000/– रुपये प्राप्त हुई है।

उक्त पत्र के कंडिका–2 में इस राशि के उपयोग हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिए गए हैं:–

i) प्रोत्साहन राशि एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता है, जिसके विरूद्ध राज्यांश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

ii) राज्य उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एस.एच.पी.एस.सी) प्रोत्साहन राशि के उपयोग का निर्णय करेगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग नई परियोजनाओं सहित अमृत के स्वीकार्य घटकों पर मिशन अंतर्गत आच्छादित शहरों में किया जाएगा।

iii) वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपयोग नहीं किए गए प्रोत्साहन मद की राशि को Project Fund में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

iv) प्रोत्साहन राशि का उपयोग अमृत अंतर्गत राज्यांश के रूप में नहीं किया जायेगा, किन्तु निकायों द्वारा इसका उपयोग Project Fund के रूप में किया जा सकता है।

111
19/09/18

4. शहरी सुधार हेतु प्राप्त प्रोत्साहन राशि का उपयोग उपरोक्त दिशा–निदेश, अमृत मिशन दिशा–निर्देश की कंडिका–4.3 एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के Office Memorandum No. 14012/32/2015-AMRUT-I दिनांक 05.08.2016 अंतर्गत Amendment to Mission Guidelines of AMRUT के कंडिका–2 में दिए गए प्रावधानों तथा समय–समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में किया जाएगा।

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से करते हुए बैंक ड्राफ्ट/आर॰टी॰जी॰एस॰ के माध्यम से राज्य शहरी विकास अभिकरण के संबंधित बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायेगी।

7. राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राशि का संधारण विभागीय आदेश संख्या 178 दिनांक 24.10.2016 के आलोक में अमृत योजना अंतर्गत AMRUT Reform Incentive, SUDA के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरसा चौक शाखा में खोले गए बैंक खाता में किया जाएगा। बैंक से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

Name of Bank	IFSC Code	A/c. Title	A/c. No.
Bank of Baroda, Birsa Chowk	BARBOBIRSAC	AMRUT Reform Incentive, SUDA	56330100001616

8. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि॰ दिनांक 20.03.2015 की कंडिका–5 के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी झारखण्ड वित्तीय नियमावली नियम–340–343/कोषागार संहिता के नियम–300 एवं संगत परिपत्रों के अनुसार की जायेगी तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण को निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं की जायेगी। राशि व्यय होने के पश्चात् विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. वित्तीय वर्ष 2017–18 में शहरी सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्यों हेतु यह राशि भारत सरकार से पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई है। अतएव उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधी प्रतिवेदन शून्य है।

12. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–301, दिनांक–11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

13. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या वित्त–19/वित्तीय नियंत्रण–3006/15–2917/वि॰ दिनांक 30.09.2016 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना अमृत अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि की निकासी कर बैंक खाता में संधारित करने के प्रस्ताव पर योजना–सह–वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

17. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि॰ दिनांक–20.03.2015 के कंडिका–5 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं॰ 759/वि॰ दिनांक .03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित की जाएगी।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/Ref. Incentive–148/2016....111.... राँची, दिनांक ....19/09/18....

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संयुक्त सचिव (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखा शाखा, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।